न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 10 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 84

1. हरिराम पुत्र कानाजी कौम विश्नोई निवासी कालुपरा तहसील सांचौर जिला जालोर।

1. गंगाराम पुत्र रामकिन
2. गवरी पत्नी रामकिन
3. गणपतराम पुत्र सुखराम
4. ऐलची देवी पुत्री सुखराम
5. नरेश कुमार पुत्र सुखराम
6. बाबुदेवी पुत्री सुखराम
7. मेसी पुत्री सुखराम
8. शायंति पुत्री सुखराम
9. गंगादेवी पत्नी सोना
10. रूगनाथाराम पुत्र सोना
11. राजुराम पुत्र सोना
12. ठाकराराम पुत्र जोधा
13. भगवानाराम पुत्र जोधा
14. हुकमाराम पुत्र जोधा
15. रामलाल पुत्र काना
16. तेजा पुत्र उदाराम कौम–विश्नोई निवासीगण कालुपुराए तहसील– सांचोरए जिला–जालोर।
17. भगवानाराम पुत्र भीया
18. छगन पुत्र चौखा
19. मंगला दत्तक पुत्र वागाराम
20. भीखी देवी पत्नी भलाराम
21. सुमित्रा देवी पत्नी गणपतलाल
22. [illegible]लाल पुत्र हीराराम
23. भग[illegible]राम पुत्र [illegible]
24. [illegible]लाल पुत्र खीयाराम
25. [illegible]करा पुत्र हरजी
26. पुरखा पुत्र हरजी
27. भगवाना पुत्र हरजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

अनवान:– हरिराम बनाम गंगाराम
मुकदमा नम्बर:– 10/2025
निर्णय तारीख:– 04.07.2025

28. मांगीलाल पुत्र रामलाल
29. मीरा देवी पत्नी रामलाल
30. बाबु पुत्र भीया
31. सुगणी देवी पत्नी हरीराम
32. हीराराम उर्फ हरीराम पुत्र भीया
33. भागीरथराम पुत्र भीयाराम
34. भीखाराम पुत्र भीयाराम
35. भेराराम पुत्र चौखाराम
36. पूनमाराम पुत्र हीराराम
    जातियान– विश्नोई
37. आसुराम पुत्र केहरा
38. जांवताराम पुत्र केहरा
39. जालाराम पुत्र कालु
40. ठाकराराम पुत्र कालु
41. भीखाराम पुत्र कालु दतक पुत्र
    कानाराम
42. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
43. बाबूलाल पुत्र सोनाराम
44. भागीरथ पुत्र सोनाराम
45. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
46. मांगीलाल पुत्र सोनाराम
47. वीरा देवी पत्नी मंगलाराम
48. केली पुत्री छोगाराम
49. चुकी पुत्री छोगाराम
50. ठाकरा पुत्र छोगाराम
51. बाबूराम पुत्र छोगाराम
52. राजु पुत्र छोगाराम
53. हरीराम पुत्र छोगाराम
54. [illegible] पुत्र पांचा
55. सुख[illegible] पुत्र पांचा
56. [illegible] पुत्र पांचा
    [illegible]न–विश्नोई निवासीगण
    [illegible] कालुराम (पुर) तहसील–
    सांचौर जिला–जालोर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

57. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर
58. पटवारी पटवार हल्का पुर
59. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पुर।
60. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा सांचौर।
61. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सांचौर।
62. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सांचौर।
63. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सांकड़।
64. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पथमेडा।
65. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा सांचौर।
66. केली देवी पत्नी लादूराम
67. अमकु देवी पत्नी किशनाराम
68. धोली पुत्री बलवंताराम
69. बाबूदेवी पत्नी बलवन्ताराम
70. रामस्वरूप पुत्र बलवंताराम
71. श्रीराम विश्नोई पुत्र बलवन्ताराम
72. संगीता पुत्री बलवंताराम
73. हरीराम पुत्र कोजाराम
74. राजुराम पुत्र सोनाराम
75. भगवानाराम पुत्र भींयाराम [illegible] विश्नोई निवासीगण [illegible]राम (पुर) तहसील– [illegible] जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजु :– 23.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार रियाग उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 56 व 66 से 75 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार हिंगड़ा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 57 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांकः— 04.07.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की भूमि सांचौर उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम कालुपुरा पटवार हल्का पुर में आयी हुई है। जो कृषि भूमि है तथा मैं प्रार्थी कास्तकार वर्ग से हूं तथा खेती कर परिवार का भरण पोषण करता हूं। मेरा संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम मौजा कालुपुरा के खसरा नम्बर 1323, 1324, 1325, 1349, 1407, 1408, 1409, 1410 जुमले रकबा 31.01 हैक्टर में से 1/15 हिस्सा यानि 2.0673 हैक्टर संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है। जिसमें खसरा नम्बर 1324 में मुझ प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है जंहा मैं रहवासी घर बनाकर परिवार सहित निवास करता हूं व खेती बाड़ी करता आ रहा हूं। जिसमें आने—जाने के लिए खसरा नम्बर 1324, 1325, 1332, 1328, 1333, 1329, 1339, 2102/1345, 2105/1345, 1346, 1995/1344, 2060/1348, 2057/1348, 2059/1348, 2058/1348, 1349, 1350, 1360, 1393, 1359/1794, 1359/1731, 2063/1358, 2064/1358, 1395, 1396, 1397 में से होकर आवागमन का रास्ता वर्तमान में भी चल रहा है तथा मुझ प्रार्थी सहित करीबन 50—60 घरो की बस्ती के आवागमन का रास्ता है जो सुविधा के लिहाज से सबसे उपयुक्त रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए मेरे खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1324 में आने के लिए खेत खसरा नम्बर 1324 रकबा 6.86 हैक्टर में से 200 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 6.89 हैक्टर में से 300 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई व 150 मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौड़ाई, खसरा नम्बर 1332 रकबा 3.83 हैक्टर में से 200 मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1328 रकबा 4.20 हैक्टर में से 65 मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौड़ाई, खसरा नम्बर 1333 रकबा 4.48 हैक्टर में से 160 मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1329 रकबा 2.65 हैक्टर में से 60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई व इसी खसरे में 134 मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौड़ाई, खसरा नम्बर 1339 रकबा 8.07 है[illegible] 56 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2102/1345 रकबा 0.89 हैक्टर में [illegible] लम्बाई व 2 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2105/1345 रकबा 0.10 हैक्टर में [illegible] मीटर लम्बाई व 2 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1346 रकबा 8.30 हैक्टर में से 200 मी[illegible] लम्बाई व 2 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1995/1344 रकबा 0.63 हैक्टर में से 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2060/1348 रकबा 0.06 हैक्टर में से 120 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

2057/1348 रकबा 2.44 हैक्टर में से 50 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2059/1348 रकबा 0.03 हैक्टर में से 5 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2058/1348 रकबा 4.57 हैक्टर में 40 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1349 रकबा 7.22 हैक्टर में से 228 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1350 रकबा 2.15 हैक्टर में से 110 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1360 रकबा 5.21 हैक्टर में से 200 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1393 रकबा 3.74 हैक्टर में से 120 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1359/1794 रकबा 1.85 हैक्टर में से 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1359/1731 रकबा 1.43 हैक्टर में से 15 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2063/1358 रकबा 5.22 हैक्टर में से 108 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2064/1358 रकबा 0.20 हैक्टर में से 25 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1395 रकबा 2.65 हैक्टर में से 140 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1396 रकबा 2.87 हैक्टर में से 110 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.59 हैक्टर में से 75 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1338 रकबा 4.09 हैक्टर में से 220 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, माफिक नजरी नक्शा में बताये अनुसार रास्ता की मांग करते हैं तथा मैं खसरा नम्बर 1324 में मेरे घर तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग को लेकर क्लेम करता हूं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1324 में बनी प्रार्थी की रहवासी ढाणी तक आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बरान 1324, 1325, 1332, 1328, 1333, 1329, 1339, 2102/1345, 2105/1345, 1346, 1995/1344, 2060/1348, 2057/1348, 2059/1348, 2058/1348, 1349, 1350, 1360, 1393, 1359/1794, 1359/1731, 2063/1358, 2064/1358, 1395, 1396, 1397,1338 में से माफिक नजरी नक्शा दर्शाये गये मार्ग के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। जहां नजरी नक्शे मे रास्ते की मांग की है। माफिक नजरी नक्शा रास्ता मौजूद है। जिसका प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में उक्त अनुसार रास्ते की मांग स्वीकार कर रास्ता उक्त प्रयोजन के तहत उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 56 व 66 से 75 की ओर से जवाब पेश कर सहमति प्रदान की गई एवं उक्त सभी अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि लेने से मना किया। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 57 राजपैरोकार द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में अ[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेक[illegible] दर्ज [illegible]ने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात, नजरी [illegible] अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार [illegible] जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं [illegible]

2. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत कि[illegible] जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 1324 रकबा 6.86 हैक्टर में पहुंचाने हेतु

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 56 व 66 से 75 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 1324 हेतु खसरा नम्बरान 1324, 1325, 1332, 1328, 1333, 1329, 1339, 2102/1345, 2105/1345, 1346, 1995/1344, 2060/1348, 2057/1348, 2059/1348, 2058/1348, 1349, 1350, 1360, 1393, 1359/1794, 1359/1731, 2063/1358, 2064/1358, 1395, 1396, 1397,1338 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है वर्तमान में उक्त रास्ता पर कोई वृक्ष व ढाणी अवस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा कालुपुरा के खसरा नंबर 1324 में आवागमन हेतु खसरा नम्बरान 1324, 1325, 1332, 1328, 1333, 1329, 1339, 2102/1345, 2105/1345, 1346, 1995/1344, 2060/1348, 2057/1348, 2059/1348, 2058/1348, 1349, 1350, 1360, 1393, 1359/1794, 1359/1731, 2063/1358, 2064/1358, 1395, 1396, 1397,1338 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कालुपुरा पटवार हल्का पुर के खसरा नम्बरान 1324, 1325, 1332, 1328, 1333, 1329, 1339, 2102/1345, 2105/1345, 1346, 1995/1344, 2060/1348, 2057/1348, 2059/1348, 2058/1348, 1349, 1350, 1360, 1393, 1359/1794, 1359/1731, 2063/1358, 2064/1358, 1395, 1396, 1397,1338 भूमि में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **04.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner